

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 6(02) कृषि-1/2018

जयपुर, दिनांक : 13-03-2020

आदेश

'राजस्थान कृषि सेवा नियम-1960' के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशषा के आधार पर सहायक कृषि अधिकारी के पद से कृषि अधिकारी के पद पर वर्ष 2016-17 एवं 2019-20 की रिक्तियों के प्रति चयन के उपरान्त निम्नांकित को वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं	नाम	पात्रता सूची में क्रमांक	रिक्त दिनांक
2016-17			
1	शिवराज मीणा, अ.ज.जा.	1	01.04.2016
वर्ष 2019-20			
1.	मनोज कुमार, अजा	1	01.04.2019
2.	पुष्पेन्द्र सिंह	3	01.04.2019
3.	डॉ० पुष्पा कंवर	4	01.04.2019
4.	डॉ० शंकर लाल गोलाड़ा	5	01.04.2019
5.	श्रीमती उपमा वशिष्ठ	6	01.04.2019
6.	डॉ० रामावतार शर्मा	7	01.04.2019
7.	श्योजी राम	8	01.04.2019
8.	डॉ० चारुला शर्मा	9	01.04.2019
9.	सुभाष चन्द्र	10	01.04.2019
10.	गिरिराज सिद्धायच	11	01.04.2019
11.	मनीष अग्रवाल	12	01.04.2019
12.	सुखदेव	13	01.04.2019
13.	सीताराम	14	01.04.2019
14.	श्रीमती प्रियंका पारीक	15	01.04.2019
15.	महेन्द्र सिंह	16	01.04.2019
16.	रामलाल कुमावत	17	01.04.2019
17.	हरबक्श चौधरी	18	01.04.2019
18.	डॉ० प्रभुदयाल चौधरी	19	01.04.2019
19.	विनोद कुमार पटेल	20	01.04.2019
20.	अमरीश शर्मा	21	01.04.2019
21.	भगवान सहाय यावद	22	01.04.2019
22.	श्रीमती मीनाक्षी जेन	23	01.04.2019
23.	बलवीर सिंह मेडतिया	24	01.04.2019
24.	कृष्ण पाल सिंह राठौड़	25	01.04.2019
25.	श्रीपाल सिंह चौधरी	26	01.04.2019
26.	सीताराम शर्मा	27	01.04.2019
27.	नेमाराम मूदियाड़ा	28	01.04.2019
28.	सुश्री शकुन्तला पालीवाल	29	01.04.2019
29.	वरुण कुमार	30	01.04.2019
30.	धर्मसिंह गुर्जर	31	15.05.2019
31.	सीमा कंवर शक्तावत	32	01.06.2019
32.	घनश्याम	33	01.07.2019
33.	महेश कुमार आमेटा	34	01.08.2019
34.	अशोक कुमार मीणा, अ.ज.जा.	122	01.09.2019
35.	विजेन्द्र कुमार मीणा, अ.ज.जा.	128	13.09.2019
36.	हरभजन मीणा, अ.ज.जा.	129	01.10.2019
37.	संजय कुमार पारंगी, अ.ज.जा.	132	01.12.2019
38.	ओमप्रकाश मीणा, अ.ज.जा.	134	01.01.2020

DDA
19/3
6-6.
18/3

39.	सुरेश कुमार मीणा, अ.ज.जा.	136	01.02.2020
40.	महेश कुमार	138	01.02.2020

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं, किन्तु पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पदोन्नत अधिकारियों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही पदोन्नत का वास्तविक नकद लाभ देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

—sd—
(डॉ०एस०पी० सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्त, कृषि विभाग
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प-1 (1)(जी-39)आ०कृ०/मुप-6/ 13300-360

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. आयुक्त उद्यान विभाग राज० जयपुर।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (वि०)जयपुर/श्रीगंगानगर/कोटा/उदयपुर/(तिलहन) भरतपुर/जालौर/भीलवाडा/सीकर/जोधपुर/बीकानेर।
4. परियोजना निदेशक शष्य, नान्ता फार्म, सीएडी कोटा।
5. सम्बन्धित उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा-----।
6. सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प०/उप निदेशक उद्यान-----।
7. उप निदेशक कृषि (गु०नि०) आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
8. सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (वि०)-----।
9. सम्बन्धित सहायक निदेशक उद्यान-----।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री-----।
11. निजी/आरक्षी पंजिका।

दिनांक:— 18/03/20

(सीतल्लाम जाट)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)